(52)

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3—14/2015/3/एक भोपाल, दिनांक 06 जनवरी, 2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिला कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषयः— प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के संबंध में बायोमैट्रिक जॉच कराया जाना।

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आयोजित की जा रही परीक्षाओं में अभ्यार्थियों के बायोमैट्रिक फिंगर प्रिंट लिए जाते हैं। उक्त परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी करने के उपरांत परिणाम की प्रति के साथ चयनित अभ्यार्थियों की बायोमैट्रिक जानकारी भी विभागों को दी जाती है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि चयनित अभ्यार्थियों की बायोमैट्रिक जानकारी विभागों को प्राप्त होने पर संबंधित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि भर्ती देने के पूर्व अभ्यार्थी का बायोमैट्रिक परीक्षण कर मैच करा लें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जिस अभ्यार्थी ने परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दी थी वही व्यक्ति भर्ती के लिए उपस्थिति दे रहा है, इससे पररूप धारण की समस्या का समाधान हो सकेगा। इसे अधिक प्रमाणिक करने के लिए यह भी निर्देशित किया जाता है कि अभ्यार्थियों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने के उपरांत तीन माह में कभी भी रेंडम आधार पर पुनः बायोमैट्रिक जांच कर ली जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.बी. पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग